

कार्यालय ज्ञाप

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 21.09.2017 के अनुसार जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा-5(1) के अन्तर्गत प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आवेदकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त करने व सूचना प्रदान करने हेतु जन सूचना अधिकारी तथा अधिनियम की धारा-19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील की सुनवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को नामित किये जाने का प्राविधान है।

यातायात निदेशालय में नियुक्त जनसूचना अधिकारी स्टॉफ ऑफिसर / पुलिस उपाधीक्षक श्री सरोज कुमार के सेवानिवृत्त के फलस्वरूप जनसूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना प्रदान किये जाने हेतु निम्नवत जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है-

नाम- श्री विपिन कुमार पाण्डेय
पदनाम- पुलिस उपाधीक्षक
मोबाइल नं0- 9454405226
पता- उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग), चतुर्थ तल, टावर-4, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ पिनकोड-226002
ईमेल आईडी- dirtraffic@nic.in
फोन नं0- 0522-2390468, 9454402555
फैक्स- 0522-2724054


(E0 सतीश गणेश)

निदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक,
यातायात एवं सड़क सुरक्षा, उ0प्र0,
लखनऊ

यातायात	निदेशालय	उत्तर	प्रदेश
उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय भवन(सिग्नेचर बिल्डिंग) चतुर्थ तल टावर-4 ,गोमतीनगर विस्तारलखनऊ ,			फोन:0522-2390468-, 9454402555 ई मेल -dirtraffic@nic.in
पत्र संख्या: डीटी-854/2017 / 2694			दिनांक:लखनऊ:जुलाई 3 2026

प्रतिलिपि: पुलिस उपाधीक्षक / जनसूचना अधिकारी, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

✓ प्रतिलिपि: प्रभारी आई0टी0 सेल0, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त विवरण विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि: प्रभारी डिस्पैच, यातायात निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से कि उक्त की प्रति यातायात निदेशालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा करना सुनिश्चित करें।